न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 04/2020 दायरा दिनांक 12.03.2020

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

बाबूलाल पुत्र गजनलाल जाति किराड निवासी खुशियारा तहसील शाहबाद, जिला–बारां

– अपीलाण्ट

बनाम

1. हज़ारीलाल पुत्र गजनलाल जाति किराड निवासी खुशियारा तहसील शाहबाद, जिला–बारां
2. देवीलाल पुत्र गजनलाल जाति किराड निवासी खुशियारा तहसील शाहबाद, जिला–बारां
3. केशरीलाल पुत्र गजनलाल जाति किराड निवासी खुशियारा तहसील शाहबाद, जिला–बारां
4. मान्या पुत्र गजनलाल जाति किराड निवासी खुशियारा तहसील शाहबाद, जिला–बारां
5. कपूरी पुत्री गजनलाल पत्नि बाबूलाल निवासी निवाडी तहसील शाहबाद, जिला–बारां
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :–

श्री कुमेर सिंह यादव – अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांक 23.06.2022

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 2459 दिनांक 31.05.2016 ग्राम महोदरा तहसील शाहबाद जिला बारां

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2016 ग्राम महोदरा को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम महोदरा में खसरा नम्बर 478/1 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि में 1/2 हिस्से से खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेण्टक्रम 1 से 5 के पिता गजनलाल पुत्र खूबीराम थे। गजनलाल का स्वर्गवास दिनांक 26.08.2014 को हो चुका है। गजनलाल ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम महोदरा के आराजी खसरा नम्बर 478/1 रकबा 10 बीघा में उनके 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 13.12.2011 को तहरीर कर अपीलान्ट को उक्त भूमि का वारिस व उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन नायब तहसीलदार केलवाडा द्वारा तस्दीक किये गये आक्षेपित इन्तकाल मृतक गजनलाल द्वारा की गई वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:29:31 IST
Reason: SelfAttested

के विपरीत होने से सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। किसी भी खातेदार के निर्वसीयती मरने की स्थिति में उसके सभी प्राकृतिक वारिसान खातेदार के स्थान पर उत्तराधिकारी होते हैं लेकिन प्रस्तुत मामले में मृतक गजनलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर कर अपीलान्ट को उक्त भूमि का एकमात्र मालिक व उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्टक्रम 1 लगायत 5 का विवादित भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्टक्रम 1 से 5 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जाना चाहिए। मृतक गजनलाल की वसीयत के आधार पर मात्र अपीलान्ट के पक्ष में ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा गजनलाल की मृत्यु के पश्चात् बसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक किये जाने का निवेदन भी किया लेकिन नायव तहसीलदार केलवाडा द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक करने की कोई कार्यवाही नही की गई तथा अपीलान्ट को इन्तकाल खोलने के लिए अपीलान्ट के आवेदन पर जांच की कार्यवाही जैरकार है का मिथ्या आश्वासन दिया जाता रहा है एवं सर्वथा अवैध रूप से अपीलाधीन इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो विधि विरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्टक्रम 6 द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नही की जाकर केवल आश्वासन दिये जाते रहने से कार्यवाही के लिए दिनांक 07.06.2019 को अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब अपीलान्ट को अपीलाधीन इन्तकाल का ज्ञान हुआ। जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल की नकल प्राप्त की जो अपीलान्ट को दिनांक 24.06.2019 को प्राप्त हुई। ज्ञान के अभाव में अपील पेश करने में हुआ बिलम्बर सद्भाविक होकर शमनीय है, तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता गजनलाल ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम महोदरा की आराजी खसरा नम्बर 478/1 रकबा 10 बीघा में उनके 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 13.12.2011 को तहरीर कर अपीलान्ट को उक्त भूमि का वारिस व उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसी भी खातेदार के निर्वसीयति मरने की स्थिति में उसके सभी प्राकृतिक वारिसान खातेदार के स्थान पर उत्तराधिकारी होते है। मृतक गजनलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर कर अपीलान्ट को उक्त भूमि का एकमात्र मालिक व उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्टक्रम 1 लगायत 5 का विवादित भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। मृतक गजनलाल की वसीयत के आधार पर मात्र अपीलान्ट के पक्ष में ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि गजनलाल के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण वारिस है इस कारण रेस्पोडेन्टगण मृतक गजनलाल की आराजी में [illegible] उत्तराधिकार के अन्तर्गत अपीलाधीन इंतकाल में नाम सही नियमानुसार अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:29:31 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलान्ट के पिता गजनलाल ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम महोदरा की आराजी खसरा नम्बर 478/1 रकबा 10 बीघा में उनके 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 13.12.2011 को तहरीर कर अपीलान्ट को उक्त भूमि का वारिस व उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसी भी खातेदार के निर्वसीयति मरने की स्थिति में उसके सभी प्राकृतिक वारिसान खातेदार के स्थान पर उत्तराधिकारी होते है। मृतक गजनलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर कर अपीलान्ट को उक्त भूमि का एकमात्र मालिक व उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्टक्रम 1 लगायत 5 का विवादित भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण क्रमांक 2459 दिनांक 31.05.2016 ग्राम महोदरा तहसील शाहबाद जिला बारां राज. को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार गजनलाल की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तय कर बाद वसीयत जांच पुनः नामान्तरण दर्ज करें। मूल इंतकाल नं. 2459 दिनांक 31.05.2016 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 16:29:31 IST
Reason: SelfAttested